	हुक्म
21/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 30/1/25 को पेश हो।
30/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अभि० ने निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी है। अप्रार्थीगण ने बिना विभाजन कराये अधिक जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थी के अभि० ने अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के अभिभाषक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के तर्कों पर मनन किया गया। प्राइमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख० नं० 302 रकबा 0.1500 हैक्टेयर वाकै ग्राम देवरी तह० रूपवास मे मौके की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद तक कंफर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ जुज हो। [signature]	

vivo V30 | AURA LIGHT
Tariq Anwar